

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक-2338 / FP/UK/ROAD/26823/2017 :देहरादून:दिनांक: 04 जनवरी, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय—सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:— Diversion of 25.825 ha (surface forest land-7.977 ha and underground forest land-17.848 ha) of forest land for construction of tunnel at Silkyara Band from Km. 24.300 to Km. 51.900 on NH-134 (Dharasu-Yamunotri Road) (Chardham Rajmarg Vikas Pariyojna) in favour of National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited within the jurisdiction of Uttarkashi & Upper Yamuna Forest Division in Uttarkashi District of Uttarakhand.

सन्दर्भ:—भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/54/2017/एफ0सी0/1253 दिनांक 23-10-2017

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या अपने पत्रांक NHIDCL/DDN/Silkyara Tunnel/2017-18/D-539 दिनांक 25-11-2017 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जो निम्नप्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :-

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दुगनी 51.65 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके दस वर्षों तक रख-रखाव हेतु रुपये 40,82,699.00 आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है। (संलग्नक-1)
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रुपये 1,90,71,309.00 वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की बचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-2)
4. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रकरण में उपरोक्तानुसार कुल जमा की गई धनराशि रू0 2,31,54,008.00 मात्र ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-3)
5. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ सम्भव होगा सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता के व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation किये जाने की वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-3)

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करना चाहें।

संलग्न:—यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :-2338 / FP/UK/ROAD/26823/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट, उत्तरकाशी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
4. महाप्रबन्धक (परि0), राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लि0, देहरादून।

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी